अध्याय - 7
वाहन कर

अध्याय 7
वाहन कर

7.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। परिवहन आयुक्त (प.आ.) चालक अनुज्ञप्ति/परमिट जारी किये जाने एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण करता है। इस कार्य हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा परिवहन आयुक्त को सहयोग प्रदान करते हैं। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 31 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग के कम्प्यूटरीकरण संबंधी कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं। क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. विभाग के कराधान प्राधिकारी (क.प्रा.) हैं।

वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है–

- मोटरयान अधिनियम, 1988 (मो.या.अधिनियम);
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (के.मो.या.नियम);
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (इसके बाद अधिनियम कहा गया है); तथा
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1994 (इसके बाद नियम कहा गया है)।

7.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

अवधि 2013–14 से 2017–18 के दौरान वाहनों पर करों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों का विस्तृत विवरण **तालिका 7.1** में है।

तालिका 7.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर का प्रतिशत
2013–14	1,650.00	1,598.93	(–) 3.10
2014–15	2,000.00	1,823.84	(–) 8.81
2015–16	2,300.00	1,933.57	(–) 15.93
2016–17	2,500.00	2,251.51	(–) 9.94
2017–18	2,550.00	2,691.62	(+) 5.55

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, राजस्व प्राप्ति में वर्ष 2017–18 के दौरान बजट अनुमान से 5.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व में वृद्धि का कारण राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अभियान, सतत निगरानी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बेहतर मार्गदर्शन बताया गया एवं 10 जनवरी 2017 को कर की दरों में वृद्धि कर संशोधित किया गया था।

7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प.शा.) संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) (वित्त) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। वर्ष 2017–18 के दौरान, विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 33 क्षेत्रीय इकाईयों की योजना बनाई। यद्यपि, केवल 14 इकाईयों की लेखापरीक्षा पूर्ण की जा सकी। विभाग द्वारा बताया गया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु स.ले.अ. के आठ स्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल चार स.ले.अ. कार्यरत हैं। विभाग द्वारा आगे बताया गया कि कार्यालय के अमले का बजट, लेखा, स्थापना एवं सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित अतिरिक्त कार्यो में व्यस्त रहने के कारण अनुमोदित रोस्टर के अनुसार 100 प्रतिशत आंतरिक लेखापरीक्षा संपन्न नही की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान भी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अमले की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी रही।

अतैव, अमले की कमी के मुख्य कारण की वजह से आं.ले.प.शा. इतनी प्रभावी नहीं है, जितनी कि होनी चाहिये।

7.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017–18 में परिवहन विभाग की 53 इकाईयों में से 25 इकाईयों (47 प्रतिशत) प्रमुख सचिव, परिवहन कार्यालय, परिवहन आयुक्त कार्यालय, तथा पाँच क्षे.प.का., दो अ.क्षे.प.का. एवं 16 जि.प.का. के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग को समुच्चयित ₹ 2,251.51 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 985 करोड़ (44 प्रतिशत) एकत्रित किए। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा आवृत्त अवधि 2014–15 से 2016–17 में नमूना जाँच की गई इकाईयों में कुल पंजीकृत 5,67,274 वाहनों में से 88,382 वाहनों (15.58 प्रतिशत) के अभिलेखों की जाँच की तथा 47,050 प्रकरणों (आठ प्रतिशत) में ₹ 86.12 करोड़ के करों का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएँ पायीं जो **तालिका 7.2** में उल्लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं।

तालिका 7.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	वाहन की श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	माल यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,709	8.66
2.	लोक सेवा यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,088	7.94
3.	मैक्सी कैब यानों पर यान कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	980	2.99
4.	अन्य (जेसीबी वाहनों, ट्रक, शैक्षणिक संस्था बसों आदि पर कर और शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण)	43,273	66.53
योग		**47,050**	**86.12**

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शासन एवं विभाग को प्रेषित (मई 2017 तथा फरवरी 2018 के मध्य) किया गया था। 2017–18 के दौरान 2,644 प्रकरणों में राशि ₹ 20.58 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया तथा राशि ₹ 65.54 करोड़ के 44,406 प्रकरणों मे समीक्षा करने का अश्वासन दिया। यद्यपि, अभी तक (सितम्बर 2019) किसी भी वसूली की सूचना विभाग द्वारा नही दी गई है।

7.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, अवधि 2012–13 से 2016–17, की 45 कंडिकाओं में ₹ 125.65 करोड़ के विभिन्न प्रेक्षणों को इंगित किया, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा मात्र ₹ 3.88 करोड़ की ही वसूली की गयी। इन 45 कंडिकाओं में से 22 कंडिकाएँ लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा हेतु चयनित की गई। 2012–13 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 18 कंडिकाओं पर लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गई। यद्यपि, अभी तक कोई भी अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

निम्नलिखित कंडिकाओं में ₹ 18.12 करोड़ से संबधित कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख किया गया है।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

7.6 वाहन कर व शास्ति की प्राप्ति न होना

विभिन्न श्रेणियों के 3,270 वाहनों पर वाहन कर ₹ 11.21 करोड़ एवं शास्ति ₹ 4.38 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण।

अधिनियम विभिन्न श्रेणियों के उपयोगी वाहनों पर कर लगाने या राज्य में उपयोग हेतु रखे गये वाहनों पर कर की दरें नियत करता है और यह प्रावधानित करता है कि निर्धारित समयावधि में वाहन स्वामी द्वारा कर का भुगतान न करने की स्थिति में, कर की अदत्त राशि पर प्रति माह चार प्रतिशत की दर से शास्ति देय होगी जो कि कर की राशि का अधिकतम दोगुना होगी। कराधान प्राधिकारी (क.प्रा.) ऐसे वाहन स्वामी पर, जो कर, शास्ति या ब्याज का भुगतान नहीं करता है, देय राशि हेतु नोटिस जारी करेगा एवं इनकी वसूली, वाहनों तथा उसके सहायक उपकरणों को संलग्नकर और बेचकर भू–राजस्व बकाया के रूप में वसूली करेगा।

लेखापरीक्षा ने छह क्षे.प.का.[95], दो अ.क्षे.प.का.[96] एवं 16 जि.प.का.[97] के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2017 एवं फरवरी 2018 के मध्य) की और पाया कि अप्रैल 2014 एवं मार्च 2017 के मध्य की अवधि के लिए वाहन स्वामियों द्वारा नमूना जाँच किये गये 28,481 वाहनों में से 3,270 वाहनों का वाहन कर का न तो भुगतान किया गया न हीं क.प्रा. द्वारा बकाया राशि के लिये माँग पत्र जारी किये गये। अभिलेखों में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनो को अप्रचलित घोषित किया गया था अथवा किसी अन्य जिला/राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 11.21 करोड़ के कर एवं कर की असंदत्त राशि पर ₹ 4.38 करोड़ की शास्ति की प्राप्ति नहीं हो सकी, जैसा कि नीचे **तालिका 7.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4

अप्राप्त वाहन कर एवं शास्ति का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. स.	वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सम्मिलित कार्यालयों की संख्या	अप्राप्त कर की राशि	आरोपणीय कर की राशि पर शास्ति	राशि
1.	माल वाहन	1353	18 कार्यालय[98]	396.16	209.17	605.33
2.	आरक्षित लोक सेवा यान	87	07 कार्यालय[99]	64.49	31.65	96.14

[95] **क्षे.प.का.** भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन।

[96] **अ.क्षे.प.का.** गुना और सिवनी।

[97] **जि.प.का.** अनूपपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, भिंड, दमोह, देवास, डिन्डोरी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, शिवपुरी, सीधी और उमरिया।

[98] **क्षे.प.अ. (05)** ग्वालियर (85 प्रकरण), इंदौर (300 प्रकरण), जबलपुर (20 प्रकरण), सागर (56 प्रकरण) और उज्जैन (01 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (01) सिवनी (378 प्रकरण)।
जि.प.अ. (12) अनूपपुर (80 प्रकरण), बालाघाट (160 प्रकरण), बैतूल (07 प्रकरण), भिंड (91 प्रकरण), दमोह (25 प्रकरण), देवास (06 प्रकरण), डिन्डोरी (41 प्रकरण), मंडला (15 प्रकरण), नरसिंहपुर (22 प्रकरण), पन्ना (15 प्रकरण), रायसेन (03 प्रकरण) और शिवपुरी (48 प्रकरण)।

[99] **क्षे.प.अ. (01)** इंदौर (29 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (01) सिवनी (12 प्रकरण)।
जि.प.अ. (05) अनूपपुर (18 प्रकरण), दमोह (05 प्रकरण), नरसिंहपुर (03 प्रकरण), पन्ना (11 प्रकरण) और रतलाम (09 प्रकरण)।

क्र. स.	वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सम्मिलित कार्यालयों की संख्या	अप्राप्त कर की राशि	आरोपणीय कर की राशि पर शास्ति	राशि
3.	अर्थमूवर / हार्वेस्टर / जे.सी.बी.	572	15 कार्यालय[100]	423.35	109.18	532.53
4.	मैक्सी कैब / टैक्सी कैब	795	18 कार्यालय[101]	160.30	51.60	211.90
5.	मंजिली वाहन	56	06 कार्यालय[102]	31.27	9.25	40.52
6.	सम्पूर्ण भारत अनुज्ञा पत्र धारी वाहन	18	02 कार्यालय[103]	17.86	13.37	31.23
7.	डीलक्स बसें	17	02 कार्यालय[104]	5.06	2.44	7.50
8.	निजी सेवा वाहन	45	03 कार्यालय[105]	22.31	11.71	34.02
योग		**3,270**		**1,120.80**	**438.37**	**1,559.17**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (नवम्बर 2017 एवं जून 2018 के मध्य) किया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया। आगे, शासन ने 406 वाहनों पर ₹ 1.72 करोड़ की वसूली सूचित की (मई 2019)। यद्यपि, वाहनवार वसूली से समर्थित दस्तावेज एवं चालान प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समान प्रेक्षणों को इंगित किया गया था, किंतु इन अनियमितताओं की निरंतरता को रोकने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गयी। लो.ले.स. ने भी (वर्ष 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर 392वाँ प्रतिवेदन, 2017–18) लंबित कर एवं शास्ति की निर्धारित समय

---

[100] **क्षे.प.अ. (06)** भोपाल (75 प्रकरण), ग्वालियर (42 प्रकरण), इंदौर (189 प्रकरण), जबलपुर (11 प्रकरण), सागर (27 प्रकरण) और उज्जैन (28 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (02) गुना (25 प्रकरण) और सिवनी (40 प्रकरण)।
जि.प.अ. (07) बैतूल (09 प्रकरण), भिंड (33 प्रकरण), दमोह (31 प्रकरण), देवास (13 प्रकरण), पन्ना (12 प्रकरण), रायसेन (14 प्रकरण) और शिवपुरी (23 प्रकरण)।

[101] **क्षे.प.अ. (05)** भोपाल (52 प्रकरण), ग्वालियर (15 प्रकरण), इंदौर (17 प्रकरण), सागर (60 प्रकरण) और उज्जैन (19 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (02) गुना (06 प्रकरण) और सिवनी (61 प्रकरण)।
जि.प.अ. (11) अनूपपुर (158 प्रकरण), बालाघाट (53 प्रकरण), बैतूल (37 प्रकरण), भिंड (38 प्रकरण), देवास (48 प्रकरण), डिन्डोरी (40 प्रकरण), नरसिंहपुर (25 प्रकरण), मंडला (25 प्रकरण), पन्ना (89 प्रकरण), रायसेन (19 प्रकरण) और शिवपुरी (33 प्रकरण)।

[102] **क्षे.प.अ. (01)** इंदौर (09 प्रकरण)।
अ.क्षे.प.अ. (01) सिवनी (11 प्रकरण)।
जि.प.अ. (04) बालाघाट (20 प्रकरण), भिंड (11 प्रकरण), मंडला (04 प्रकरण) और नरसिंहपुर (01 प्रकरण)।

[103] **जि.प.अ (02)** भिंड (12 प्रकरण) और शिवपुरी (06 प्रकरण)।

[104] **क्षे.प.अ. (02)** इंदौर (14 प्रकरण) और सागर (03 प्रकरण)।

[105] **क्षे.प.अ. (03)** भोपाल (18 प्रकरण), ग्वालियर (07 प्रकरण) और इंदौर (20 प्रकरण)।

सीमा में वसूली तथा समय पर देयताओं की वसूली की कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित किया था। इसके बावजूद विभाग एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में असफल रहा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन कर पूर्ण रूप से एकत्रित हों तथा चूककर्ता कर और शास्ति के भुगतान से न बच सकें।

7.7 निजी सेवा वाहनों पर शैक्षणिक संस्थान बसों पर लागू दर से कर का त्रुटिपूर्ण आरोपण

208 निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर त्रुटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले बसों के लिए लागू दर से लगाया गया, कर की त्रुटिपूर्ण दर के उपयोग का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के वाहन कर एवं ₹ 1.07 करोड़ की शास्ति का न्यून आरोपण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

मोटरयान अधिनियम परिभाषित करता है कि "शैक्षणिक संस्था बस" से तात्पर्य उस वाहन से है जो महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व में हो तथा जिसका उपयोग पूर्णतः शैक्षणिक संस्था के छात्रों या कर्मचारियों के लिए संस्था की गतिविधियों के संबंध में परिवहन हेतु हो। आगे प्रावधानित है कि "स्वामी" का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से भी है जिसके कब्जे में लीज़ अनुबन्ध या दृष्टिबंधक (हायपोथिकेटेड) वाहन है। शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों पर कर ₹ 30 प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से ₹ तीन प्रति सीट प्रति तिमाही) की रियायती दर से लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, निजी सेवा वाहन जिसमें चालक को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, जो कि लोक प्रयोजन के लिए उपयोग ना किया जाकर आम तौर पर वाहन स्वामी के कारोबार या व्यापार के संबंध में उपयोग किया जाता है, पर ₹ 480 प्रति सीट प्रति तिमाही (जनवरी 2017 से ₹ 600 प्रति सीट प्रति तिमाही) की दर से कर लगाया जाता है।

लेखापरीक्षा में चार कार्यालयों[106] के 591 वाहनों के अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के मध्य की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2017 एवं जनवरी 2018 के मध्य) की गई एवं पाया गया कि क.प्रा. द्वारा 208 ऐसे वाहनों पर शैक्षणिक संस्था के वाहन के लिए निर्धारित दर से वाहन कर लगाया गया जो कि महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व में नहीं थे अथवा शैक्षणिक संस्थाओं को लीज़ पर नहीं दिये गये थे। आक्षेपित वाहन व्यक्तिगत नामों पर पंजीकृत थे।

क.प्रा. द्वारा कर की सही दर लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप निजी व्यक्तियों से ₹ 1.46 करोड़ कर एवं ₹ 1.07 करोड़ शास्ति की कम प्राप्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की राजस्व हानि हुई **(परिशिष्ट XXVIII)**।

[106] **जि.प.का.** बैतूल, भिंड और शिवपुरी।
क्षे.प.का. सागर।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (मार्च 2018 एवं जून 2018 के मध्य) किया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2019) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं सूचित किया कि प्रत्येक क.प्रा. को केवल ऐसे वाहनों को जो शैक्षणिक संस्थाओं/विद्यालयों के नाम से पंजीकृत हो अथवा विद्यालयों/महाविद्यालयों अथवा शैक्षणिक संस्थाओं के पक्ष में लीज पर हो पर रियायती दर से वाहन कर का आरोपण करने के संबंध में आदेश जारी किये गये थे (फरवरी 2019)। यद्यपि, शासन द्वारा कोई वसूली सूचित नहीं की गई थी (मई 2019)।

(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

भोपाल
दिनांकः 06 फरवरी 2020

प्रति हस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 11 फरवरी 2020